

(4)

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, केपिटल कॉम्पलेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक
प्रति,

/एफ-7-35/31/एस-2/2015,

नया रायपुर, दिनांक /01/2018

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो बांध के परिक्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित किये जाने तथा लैण्ड स्केपिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-617/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2015/9200, रायपुर, दिनांक 13.07.2017.

राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो बांध के परिक्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित किये जाने तथा लैण्ड स्केपिंग कार्य हेतु रु. 445.69 लाख (रुपये चार करोड़ पैंतालीस लाख उनहत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

- योजना से बांध के परिक्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित किया जाना संभव होगा।
- कार्य विभाग नियमावली की कड़िका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
- योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23 लेखा शीर्ष, 4700 (01) मिनीमाता बांगो परियोजना, (800) अन्य व्यय, (2898) बांध तथा संलग्न कार्य #26 बृहद निर्माण कार्य 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 1642/ब-2/सी.एन.-31-01614, दिनांक 05.01.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
- योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
- संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खेस)

संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 501/एफ-7-35/31/एस-2/2015.
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 25/01/2018

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर ।
3. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर ।
4. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर ।
5. प्रभारी बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर ।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, वलौदावाजार रोड, रायपुर ।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, वलौदावाजार रोड, रायपुर ।
8. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर ।
9. कलेक्टर, जिला-कोरवा (छ.ग.) ।
10. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकाशक कक्ष क्र.-एम 4-22 नया रायपुर ।
12. विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय कक्ष क्र.-एम 1-24 नया रायपुर ।
13. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल रामपुर/कोरवा, जिला-कोरवा ।
14. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
15. कार्यपालन अभियंता, मिर्नीमाता बांगो बांध संभाग क्रमांक-3, माचाडोली, जिला-कोरवा व सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता हसदेव परियोजना मंडल
रामपुर/कोरवा
आवक क्रमांक 286/2/2/18
स्था/सामान्य/बजट/कार्य/मु.लि./कार्य. अभि. (रु.)
/सहा. अभि. (रुपा.)
अधीक्षक कार्यपालन अभियंता (रु.) अधीक्षण अभियंता

संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर